न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या

18 / 2022

जमील अहमद निवासी पावर हाउस के पास तालकटोरा (पडोसी कस्टोडियन)टोंक राज0

--अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक

--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक 20.06.2022

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 18-04-2022 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही गई थी :-

मेरे प्रार्थना पत्र दिनांक 26.11.2015 पर आपके कार्यालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी टोंक को लिखे गये पत्र कमांक एफ 12( ) राजस्व/विधि/15/11449 दिनांक 15.12.2015 से पाक नागरिक अमीनुद्दीन की भारत (तालकटोरा पावर हाउस टोंक राज0) स्थित शत्रु सम्पति के किराये एंव निस्तारण बाबत उपखण्ड अधिकारी टोंक से प्राप्त रिपोर्ट की सत्यप्रति उपलब्ध करावे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक को पत्र किमांक 645 दिनांक 30-5-2022 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक द्वारा पत्र कमांकः 456 दिनांक 6-06-2022 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना के संबंध में उनके पत्र कमांकः 329 दिनांक 29-04-2022 से अपीलान्ट को सूचित किया गया है जिसकी प्रति जवाब के साथ संलग्न की गई है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना के संबंध में सूचित किया जा चुका है । अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की ... राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलेक्टर टोंक तथा अपील... क...षित की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:22:16 IST
Reason: SelfAttested

(...पाल)
जिला कलेक्टर
एंव जिला ... टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)